

क्रमांक सं.3(3)(3)स्था/मंत्रा/अभि./2020/ 7551-54 दिनांक :- 07/07/2020

**अभियोजन विभाग में चयनित/आवंटित
अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के सत्यापन एवं काउंसलिंग के संबंध में।**

प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग शासन सचिवालय जयपुर के पत्र क्रमांक प.1(6)प्र.सु./अनु.-3/2017 जयपुर दिनांक 16.06.2020 एवं परिपत्र क्रमांक प.1(1)प्र.सु./अनु.-3/2020 पार्ट जयपुर दिनांक 18.05.2020 में दिये गये दिशा-निर्देशानुसार लिपिक ग्रेड-द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2013 के Pickup Against NJRs, LDC 2013 के चयनित अभ्यर्थियों को इस विभाग में आवंटित 4 (NON-TSP) अभ्यर्थियों को जिलों का आवंटन एवं नियुक्ति प्रक्रिया अपनाई जानी है।

अतः राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों के Documents Verification / Counseling का कार्य दिनांक 13.07.2020, को अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर, कमरा न. 7226 खाद्य भवन, द्वितीय मंजिल, शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर में किया जाना है।

क्र. सं.	मेरिट न.	रोल न.	अभ्यर्थी का नाम	वर्ग	चयनित वर्ग
1	1026	608291	प्रद्युम्न सिंह गौड़	सामान्य	सामान्य
2	1046	166728	कमल कांत शर्मा	सामान्य	सामान्य
3	1099	754259	नरपत सिंह रावणा राजपूत	अ.पि.व.	सामान्य
4	1269	633951	पंकज सिंह	अ.पि.व.	अ.पि.व.

अभियोजन विभाग में चयनित अभ्यर्थियों का Documents Verification / Counseling का कार्य निम्नलिखित शर्तों एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशानुसार सम्पन्न किया जावेगा।

1. नियुक्ति अधिकारी द्वारा काउंसलिंग की कार्यवाही में आवंटित अभ्यर्थियों में से सर्वप्रथम प्राथमिकता से दिव्यांगन, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला (अविवाहित महिला), भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी एवं पति-पत्नी में से कोई एक पूर्व से ही राज्य सेवा में हो को वरियता क्रम से उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर काउंसलिंग में बुलाया जावेगा।
2. शेष अभ्यर्थियों को वरियता क्रम से काउंसलिंग में बुलाया जाकर रिक्त के आधार पर प्रथम नियुक्ति जिले का आवंटन किया जावेगा।
3. नियुक्ति अधिकारी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों में से यदि कोई पति-पत्नी पूर्व में से ही राज्य सेवा में जिस जिले में पदस्थापित है को उस जिले में रिक्त पद होने की स्थिति में प्राथमिकता के आधार पर उसी जिले में पदस्थापन स्थान आवंटित किया जावेगा।
4. नियुक्ति अधिकारी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों में से कोई अभ्यर्थी शहीद परिवार का आश्रित हो/अभ्यर्थी के माता-पिता अथवा पति-पत्नी असाध्य रोग से ग्रसित हो तो रिक्त पद उपलब्ध होने की स्थिति में नियुक्ति अधिकारी ऐसे तथ्यों की पुष्टि कर उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर जिला आवंटन करने में प्राथमिकता दी जावेगी।
5. Documents Verification / Counseling के लिए उपस्थित होने पर अभ्यर्थियों की किसी भी प्रकार किराया व कोई अन्य भत्ता देय नहीं होगा।
6. उपरोक्त अभ्यर्थियों में से कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को Documents Verification / Counseling हेतु उपस्थित नहीं होता है तथा तत्समय कोई ठोस एवं स्पष्ट कारण प्रस्तुत नहीं करने पर उनको जिला आवंटन करने में वरियता सबसे अंत में दी जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की रहेगी।

7. चयनित सभी अभ्यर्थी निदेशालय द्वारा पूर्व में जारी पत्र क्रमांक 7350 दिनांक 01.07.2020 में दिये गये निर्देशानुसार समस्त दस्तावेज पूर्ण कर प्रस्तुत करने हैं। उक्त दिशा निर्देश विभाग की वेबसाइट Department of Prosecution Rajasthan Jaipur का अवलोकन करें।
8. Documents Verification / Counseling में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को कोविड-19 की रोकथाम हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशानुसार मास्क एवं दस्ताने पहनकर ही काउंसलिंग समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य है। यदि कोई अभ्यर्थी इसका पालना नहीं करता है तो उस अभ्यर्थी को काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जावेगा, जिसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।
9. प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग शासन सचिवालय जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.1(1)प्र.सु./अनु.-3/2020 पार्ट जयपुर दिनांक 18.05.2020 में दिये गये दिशानिर्देशानुसार Documents Verification / Counseling का कार्य नियमानुसार संपादित किया जावेगा।
10. काउंसलिंग में उपस्थिति के दौरान विभाग द्वारा जिला आवंटन के संबंध में सभी अभ्यर्थियों को सहमति पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. नियुक्ति अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर विभागीय विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए काउंसलिंग हेतु उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य शर्तें भी नियत की जा सकेंगी।

कनिष्ठ सहायक की नियुक्ति सम्बन्धी समस्त सूचनाएँ विभागीय वेबसाइट पर ही अपलोड की जावेगी। अतः अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि नियुक्ति सम्बन्धी कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण प्रतिदिन विभागीय वेबसाइट Department of Prosecution Rajasthan Jaipur का अवलोकन किया जाना सुनिश्चित करें।



(जगदीश कुन्तल)
अतिरिक्त निदेशक अभियोजन
(न्याय) राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विभागीय कमेटी अभियोजन निदेशालय राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव निदेशक अभियोजन राज0 जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-03) विभाग राज0 जयपुर।
4. स्टोरकीपर अभियोजन निदेशालय राज0 जयपुर को कोविड-19 के रोकथाम के अनुसार कार्यवाही हेतु।
5. आदेश पत्रावली।



अतिरिक्त निदेशक अभियोजन
(न्याय) राजस्थान जयपुर